भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1011

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

झारखंड में अवैध मानव व्यापार

1011. श्री परिमल नथवानी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश और विशेषकर झारखंड में अवैध मानव व्यापार, विशेषकर महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान झारखंड में कितने मामलों की सूचना मिली है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार या नजरबंद किया गया; और

(ग) झारखंड और देश में अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में, विशेष रुप से झारखंड में मानव तस्करी के अपराध का परिदृश्य (पंजीकृत मामले) निम्नानुसार है:

	2011	2012	2013	2014 (अनंतिम)
देश (भारत)	3517	3554	3940	6333
झारखंड	43	43	37	78

(ग) : भारत सरकार ने मानव तस्करी से मुकाबला करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और संबंधित मंत्रालयों एवं स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक बहु-आयामी नीति अपनाई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 का अधिनियमन जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को भा.दं.सं. की धारा 370 और 370क से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान है।**

.....2/-

(ii) देश के 225 जिलों में मानव तस्करी-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना जिसमें झारखंड में स्थापित 8 एएचटीयू शामिल हैं।

(iii) मानव तस्करी के संबंध में अनेक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किए गए (जो http://stophumantraffickingmha.nic.in/forms/Sublink1.aspx?lid=92 पर उपलब्ध हैं) ।

(iv) मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा के लिए सभी एएचटीयू एवं संबंधित मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

(v) तस्करी से संबंधित मुद्दों के बारे में सुझाव देने के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया।

(vi) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उज्ज्वला नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो तस्करी पर रोक एवं बचाव, तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास, एकीकरण और प्रत्यावर्तन के लिए एक समग्र योजना है।

*****